उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-126/2025/2426/तीस-3-2025 (ई-1744147)
लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा शासन के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2022 प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्यतः निम्नांकित अनुरोध किया गया :-

"प्रार्थीगण द्वारा परिवहन विभाग में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा चयनित होकर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर क्रमशः 08-05-2002 एवं 18-09-2001 को अपना पदभार ग्रहण किया गया था। वर्ष 2008-09 में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद पदोन्नति किये जाने हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग अधियाचन भेजा गया था। ज्येष्ठता सूची में उनका ज्येष्ठता क्रमांक 61, 62 पर रहने के बावजूद भी उनसे नीचे के ज्येष्ठता क्रमांक 65, 67, 68, 71, 72, 73 वाले आर0आई0 (टी) के पदधारकों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया क्योंकि क्रमांक 65 से 73 तक के सभी आर0आई0 (टी) संवर्ग के हैं और तत्समय उसका आधार पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का लागू होना था। ए0आर0टी0ओ0 पद पर पदोन्नति हेतु दो मूल कैडर अर्थात आर०आई० (टी) एवं पी०टी०ओ० पद से पदोन्नति की जाती है, जिससे One By One पदोन्नत कोटे के रिक्त पद भरे जाते हैं। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल अपील सं0-2608/2011 पर पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किए जाने के पश्चात् शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 द्वारा सभी विभागों को आदेश जारी किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27-04-2012 को पारित आदेश के क्रम में 15-11-1997 से 28-04-2012 के बीच आरक्षण का लाभ देकर पदोन्नत किये गये कार्मिकों को उनके यथोचित क्रम में पदावनत करते हुए उनके स्थान पर यथासमय सामान्य श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति करते हुए संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी की जाए तथा पूर्व में जारी सभी ज्येष्ठता सूची को अमान्य / निरस्त कर दिया जाये।

उक्त अनुपालन में परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27-01-2016 द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत किये गये अधिकारीगण श्री सतीश कुमार (अनुसूचित जाति) श्री आनन्द निर्मल (अनुसूचित जाति), श्री उदय राम (अनुसूचित जाति), श्री अशोक कुमार (अनुसूचित जाति), श्री मुंशीलाल (अनुसूचित जाति), श्री राजेश कर्दम (अनुसूचित जाति) को पदावनत करते हुए पूर्व में शासन के आदेश दिनांक 05-06-2014 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में उपरोक्त अनुसूचित जाति के पदोन्नत ज्येष्ठता क्रमांक क्रमशः 196, 197, 198, 199, 200 से हटाकर ज्येष्ठता सूची को संशोधित करते हुए इनकी ज्येष्ठता को क्रमशः 231ए, 232ए, 233, 235ए 235बी, 235सी पर कर दिया गया तथा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 195 से 200 तक अभी तक रिक्त रखा गया है। संशोधित ज्येष्ठता सूची में अनुसूचित जाति संवर्ग के होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था का लाभ पाकर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पदोन्नत किये गये अधिकारीगण को पदावनत किया गया, किन्तु उक्त चयन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 में पात्र सामान्य श्रेणी (प्रार्थीगण) के अभ्यर्थियों की पदोन्नति चयन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 के सापेक्ष नहीं की गयी। शासन द्वारा चयन वर्ष 2008-09 में तैनात सीधी भर्ती तथा पी०टी०ओ० सवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता क्रमांक 180 से 189 तक शासन के पत्र दिनांक 23.04.2020 द्वारा निर्धारित की गयी। उक्त ज्येष्ठता निर्धारण में सम्भागीय निरीक्षक सवर्ग (प्रार्थीगण) के कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया। वर्तमान में प्रार्थीगण की ज्येष्ठता क्रमांक 227 एवं 229 अर्थात 37 कार्मिकों के नीचे प्रख्यापित है।

अतः चयन-वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 के सापेक्ष अभ्यर्थियों की पदोन्नति सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर करते हुए शासन के पत्र दिनॉक 23.04.2020 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में उ०प्र० सरकारी सेवक, ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में शासन के आदेश संख्या-2989/तीस-3-2023, दिनांक 21-11-2023 द्वारा प्रार्थीगण के प्रत्यावेदन दिनांक 29-09-2022 को निस्तारित कर दिया गया।

2- शासन के उक्त निस्तारण आदेश दिनांक 21-11-2023 के विरूद्ध श्री बिनय कुमार सिंह व सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-16767/2023 बिनय कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिस पर सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2023 को सक्षम प्राधिकारी को याचीगण के प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2022 को नियमानुसार 02 माह में निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

मा0 न्यायालय के आदेश के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2989/तीस-3-2023, दिनांक 21.11.2023 द्वारा श्री बिनय कुमार सिंह व अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2022 एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रत्यावेदन दिनांकित 13.10.2023, 20.10.2023 एवं 26.10.2023 को सम्यक विचारोपरांत निरस्त कर निस्तारित किया गया।

3- शासन के उपरोक्त निस्तारण आदेश दिनांक 21-11-2023 के विरूद्ध पुनः याचीगण द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनाक 25.04.2025/सपठित त्रुटि निवारित आदेश दिनांक 05-05-2025 के प्रभावी अंश निम्नवत है-

".....20. From perusal of the aforesaid reply, clarification of Transport Commissioner is also in favour of petitioners and three other persons with specific averment that in seniority list at serial no. 196 to 200 is still vacant and further after granting notional seniority, seniority of none other personnel shall be affected.

21. I have perused the counter affidavit as well as impugned order. There is no denial or dispute about the facts so mentioned in three members committee report as well as clarification of Transport Commissioner. The only reason is given that in terms of

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Government Order dated 21.8.2015, petitioners are not entitled for any additional emoluments or special pay, therefore, notional seniority for selection year 2007-08 & 2008-09 cannot be granted.

22. Further, this is not the first time claim of notional seniority has been raised by the officer of the department. Vide letter dated 21.1.2025, Principal Secretary, Govt. of U.P. has written letter to Secretary, U.P. Public Service Commission for granting notional promotion on the post of ARTO to the certain officers of the department, who was working on the post of Passenger/Goods Tax Officer, therefore, in light of such facts mentioned hereinabove, there is no legal impediment in granting the notional seniority and consequential benefit of promotion to petitioners also.

23. In light of facts of the case specially, recommendation of three members committee dated 2.2.2023 and clarification of Transport Commissioner dated 21.7.2023 it is apparently clear that in granting notional seniority to petitioners, there is no legal impediment except the Government Order dated 21.8.2015, which provides that candidate of unreserved category shall not claim any additional emoluments or personal pay on the ground of their seniority, otherwise petitioners are fully entitled for notional seniority for selection year 2007-08 & 2008-09 at serial No. 196 & 197 in seniority list.

24. Now coming to the present case, there is undertaking of the petitioners before this Court that they will not claim any additional emoluments or special pay in terms of Government Order dated 21.8.2015 and further in light of facts that serial No. 196 to 200 are sill vacant in seniority list and in granting the aforesaid seniority, seniority of none other personnel would be affected, therefore, petitioners are fully entitled for notional seniority and denial of that by the impugned order is absolutely bad and liable to be set aside.

25. Therefore, under such facts and circumstances of the case, the impugned order dated 21.11.2023 is hereby set aside and writ petition is allowed. No order as to costs.

26. Respondents are directed to grant notional seniority to petitioners placing them at Serial Nos. 196 & 197 in seniority list alongwith all consequential benefits. It is further directed that after fixation of notional seniority, if promotion is due on next higher post, process of promotion shall also be completed.

27. The aforesaid exercise shall completed maximum within a period of two months from the date of production of certified copy of this order.

28. It is made clear that petitioners shall not claim any additional emoluments or special pay as provided in Government Order dated 21.8.2015 after grant of notional seniority.

4- याची श्री बिनय कुमार सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0 21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित उक्त आदेश के समादर में याचीगणों की वरिष्ठता क्रमांक-196 एवं 197 निर्धारित निर्धारित करने के साथ परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके संबंध में शासन के पत्र संख्या I/1070196/तीस-3-2025 (ई-1744147)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक 27 अगस्त, 2025 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को यथोचित आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

5- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या 912(जी)ई/2025-02ई/रिट याचिका/2024, दिनांक 11 सितम्बर, 2025 के माध्यम से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से श्री बिनय कुमार सिंह एवं श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह को दिनांक 31.12.2008 से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर उनकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि क्रमशः 21.11.2012 तथा 18.04.2013 तक नोशनल पदोन्नति कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार याचीगणों की ज्येष्ठता क्रमांक 196 व 197 पर नोशनल रूप से निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया।

6- उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत याचीगण श्री बिनय कुमार सिंह एवं श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह को दिनांक 31.12.2008 से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर उनकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि क्रमशः 21.11.2012 तथा 18.04.2013 तक नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चयन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन के पत्र संख्या 2261/तीस-3-2025, दिनांक 18 सितम्बर, 2025 सचिव, लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।

7- तत्क्रम में दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को लोक सेवा आयोग में चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसकी संस्तुति उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 72(1)/48/पी0/एस-1(09)/2025-26, दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से प्राप्त हुई । उक्त पत्र में उल्लेख किया गया कि चयन समिति द्वारा शासन के पत्र संख्या 2261/30-3-2025, दिनांक 18.09.2025 द्वारा किए गए अनुरोध एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश/निर्णय के समादर में चयन समिति की बैठक में श्री बिनय कुमार सिंह एवं श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह को दिनांक 31.12.2008 से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर उनकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि क्रमशः 21.11.2012 तथा 18.04.2013 तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु सम्यकरूपेण विचार किया गया। विचारोपरांत चयन समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में शासन के अनुरोध एवं प्रोन्नति हेतु निर्धारित मामदण्ड के अनुसार उक्त कार्मिकों को उपयुक्त पाते हुए नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

8- अतएव प्रकरण में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 72(1)/48/पी0/एस-1(09)/2025-26, दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रतापगढ़ एवं श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मिर्जापुर को दिनांक 31.12.2008 से इनकी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर वास्तविक पदोन्नति की तिथि क्रमशः 21.11.2012 तथा 18.04.2013 तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वेतन रू0 5400/-) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

9- श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), प्रतापगढ एवं श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सहायक संभागीयपरिवहन अधिकारी(प्रशासन), मिर्जापुर द्वारा नोशनल पदोन्नति की अवधि में वास्तविक रूप से पदधारित नहीं किया गया, अतएव इनको नोशनल पदोन्नति की उपर्युक्त अवधि का एरियर/भत्ते दिये जाने का अवसर नहीं है।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-126/2025/2426(1)/तीस-3-2025(ई-1744147), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. उप सचिव, लोक सेवा आयोग 0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या 72(1)/48/पी0/एस-1)09/(2025-26, दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 के क्रम में।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।